

Dr. Deepak Kumar

Assistant Professor

Deptt of Commerce

D.N. College MEERUT

**Topic - *Accounting Standards in
India***

लेखांकन मानदण्ड

(Accounting Standard)

पूरे विश्व में विश्व लेखांकन मानदण्ड निर्गमन करने का कार्य "अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानदण्ड बोर्ड" [International Accounting Standard Board - IASB] द्वारा किया जा रहा है। IASB द्वारा अभी तक 41 अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानदण्ड जारी किए जा चुके हैं।

भारत में लेखांकन मानदण्ड

[Accounting Standard in India]

भारत में लेखांकन मानदण्डों को तैयार करने और निर्गमित करने का दायित्व "इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया" (ICAI) का है। जैसे- भारतीय कम्पनियों में विविध विधवा अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानदण्डों के अनुरूप तैयार हो। इस दायित्व में निरवधि में विश्व इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने "21 अप्रैल, 1977" को "लेखांकन मानदण्ड बोर्ड - ASB" का गठन किया।

⇒ "21 अप्रैल, 1977" से "लेखांकन मानदण्ड बोर्ड (ASB)" भारत में लेखांकन मानदण्ड - AS का प्रतिपादन करता है। और अब तक 32 लेखांकन मानदण्ड जारी कर चुका है।

लेखांकन मानदण्ड का अनुपालन (Compliance with Accounting Standard)
 लेखांकन मानदण्ड बोर्ड द्वारा निर्गमित लेखांकन मानदण्ड दो प्रकार के होते हैं - अनिवार्य या बाध्यकारी (mandatory) और परामर्शदात्री (recommendatory)।

यदि किसी संस्था द्वारा मानकों का अचित प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया है तो अंकेक्षक का कर्तव्य है कि अपने प्रतिवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करे।

परामर्शदात्री मानकों के उल्लंघन पर अंकेक्षक का कोई कर्तव्य नहीं है।

1-4-2004 से लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता

(Applicability of Accounting standard w.e.f. 1-4-2004)

लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता के अर्थ से सभी उपक्रमों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

प्रथम श्रेणी उपक्रमों में वे उपक्रम सम्मिलित होते हैं जिनकी समता या हलण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं अथवा सूचीबद्धता की प्रक्रिया में हैं; सहकारी बैंकों सहित, सभी बैंक, विदेश संस्थान, बीमा व्यवसाय जैसे वाले उपक्रम, कुल पिछली लेखांकन अवधि में 50 करोड़ रु से अधिक कितनी रुपये वाले उपक्रम, लेखांकन अवधि में 10 करोड़ रु से अधिक उधारों वाले उपक्रम।

द्वितीय श्रेणी उपक्रमों में वे उपक्रम सम्मिलित होते हैं जिनकी कितनी 40 लाख से अधिक किंतु 50 करोड़ रु से कम हो तथा वे उपक्रम जिनकी उधारों 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ रु से अधिक नहीं हैं।

उपर्युक्त प्रथम और द्वितीय श्रेणी उपक्रमों के आगे किंचित अन्य सभी उपक्रम तृतीय श्रेणी उपक्रम माने जाते हैं।

INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

(Institute of Chartered Accountants) ने अभी 32

32 लेखांकन मानक निर्गमित किये हैं जिसमें से "शोध एवं विकास" पर लेखांकन मानक (AS-8) को "अमूर्त सम्पत्तियों" पर लेखांकन मानक (AS-26) के निर्गमन पर काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है इस पर प्रभावी रूप से अब 31 Accounting Standards हैं

मानक संख्या	मानक का शीर्षक	अविवर्धता की तारीख	लिपिके लिए लागू
AS-1	लेखांकन नीतियों का चयन	1-4-1993	सभी के लिए
AS-2	स्टॉक का मूल्यांकन	1-4-1999	" "
AS-3	Cash flow statement	1-4-2001	प्रथम श्रेणी के लिए
AS-4	आर्थिक विद्वे की तारीख के बाद लिये जाने वाले आकर्मिक विवरण एवं चयन	1-4-1998	सभी के लिए
AS-5	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि पूर्व अवधि में तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	1-4-1998	" "
AS-6	depreciation n/c	1-4-1995	" "
AS-7	निर्माण अडवर्थ	1-4-2002	" "
AS-8	शोध एवं विकास का लेखांकन	1-4-2002	" "
AS-9	आगम के माध्यम	1-4-1993	" "
AS-10	स्थायी सम्पत्तियों का लेखांकन	1-4-1993	" "

AS-11	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव हेतु लेखांकन	1-4-2004	समीक्षा के लिए
AS-12	सरकारी सहायता (अनुदान) हेतु लेखांकन	1-4-1994	" "
AS-13	निवेशों हेतु लेखांकन	1-4-1995	" "
AS-14	स्फीकरणों के लिए लेखांकन	1-4-1995	" "
AS-15	कर्मचारी लाभ (2005 में संशोधित)	1-4-2006	" "
AS-16	सूचना देने की लागत	1-4-2000	" "
AS-17	व्यय प्रतिवेदन	1-4-2001	प्रथम स्तरीय कोडों का Sme
AS-18	सम्बद्ध पक्षों से अभिव्यक्तियाँ	1-4-2001	प्रथम स्तरीय कोडों की कम्पनियाँ
AS-19	पट्टे	1-4-2001	समीक्षा के लिए
AS-20	EPS (प्रति इकाई उपाज्ज)	1-4-2001	" "
AS-21	समेकित वित्तीय विवरण	1-4-2001	" "
AS-22	आयपद करों के लिए लेखांकन	1-4-2001	" "
AS-23	समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोग में निवेश हेतु लेखांकन	1-4-2001 1-4-2002 1-4-2006	- द्वितीय स्तरीय कोडों का " " समीक्षा के लिए
AS-24	बंद निर्यात लेखांकन परिवर्तन	1-4-2002	" "
AS-25	अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन	1-4-2004	प्रथम स्तरीय कोडों की कम्पनियाँ
AS-26	अमूर्त सम्पत्तियाँ	1-4-2002	परामर्शदाता
AS-27	संयुक्त साहस में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन	1-4-2003	समीक्षा के लिए
AS-28	सम्पत्तियों की क्षति	1-4-2003	" "

AS-29	आयोजन, संयोजक दावे, सम्पत्तियाँ	1-4-2004	रमा इण्डिया
AS-30	वित्तीय विवेक-मापता और माप	1-4-2011	जेड S.M.E
AS-31	वित्तीय विवेक-प्रस्तुतीकरण	1-4-2009	
AS-32	" " - प्रकीर्ण	1	

Accounting Standard - 1 (Disclosure of Accounting Policies)

प्रथम लेखांकन प्रमाण - Nov. 1979 में निर्गमित किया गया। यह मानक वित्तीय विवेकों की स्वा स्व प्रस्तुती में अपाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अभिव्यक्ति का वर्ण करता है।

Imp

Accounting Standard - 2 (Evaluation of Inventories)

संशोधित मानक 1-4-1999 से प्रभावी है और आसियर प्रवर्तक का है। स्वध के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियाँ होती हैं -

- 1. Finished Goods
- 2. Raw Materials & work-in-progress
- 3. Supply to Consumable Materials & Maintenance

Evaluation of Inventories - AS-2 के अनुसार स्वध के

आगत तथा शुद्ध करके योग्य मूल्य (दोनों में जो भी कम हो) पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

(Cost of Inventory) स्वध को लागत -

स्वध की लागत में -

- 1. हय लागत (हय मूल्य, शुल्क और कर, आचारिक भाव, other Direct Exp.)
- 2. परिवर्तन की लागत (Direct Materials, Labour & Direct Exp.) fixed & overhead
- 3. स्वध को उसके वर्तमान दिशा तथा दशा में लाने में लगी अन्य सभी लागतों का समावेश होगा।

स्क्रिप्ट की लागत के निर्धारण में निम्नलिखित लागतों को नहीं सम्मिलित किया जाता है -

- (i) सामग्री, प्रेम और अन्य उत्पादन लागतों का असाधारण हानि -
- (ii) संग्रहण लागत, (iii) प्रशासकीय उपकरण (iv) Selling & Distribution Cost.

स्क्रिप्ट की लागत का मूल्यांकन FIFO अथवा Weighted Average Cost Method से किया जाता है किंतु यदि लागत को जगता अथवा वारिक हो तो "प्रमाणित लागत पद्धति" अथवा शुद्ध पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

→ शुद्ध करणीय मूल्य (Net Realizable Value) →

$$\text{Net Realizable Value} = \text{Estimated Sales} - \text{Estimated Cost}$$

Accounting Standard-3 (Cash flow Statement)

Revised Accounting Standard-3 - 3 March, 1997 में निर्मित AS-3 को निरस्त करके जारी किया गया। परम्परागत यह लेखांकन परामर्शदाता रहेगा तथा यह निम्नलिखित उपक्रमों पर लागू होता है -

- (i) निम्नलिखित एक वित्तीय वर्ष में किसी 50 करोड़ से अधिक है।
- (ii) मन्थरा प्रायः Stock Exchange की सूचीबद्ध कंपनियों।

AS-3 (Revised) के अनुसार प्रत्येक उपक्रम को Cash flow statement बनाना चाहिए। Cash flow statement में निम्नलिखित गणनाओं के अन्तर्गत Cash को गतिशीलता दर्शाया जाता है।

- परिचालन गतिविधियों से रोकड आह (Cash flow from operating transactions)
- निवेश गतिविधियों से रोकड आह (Cash flow from investment trans.)
- वित्तीय गतिविधियों से रोकड आह (Cash flow from financial trans.)

रोकड का आशय :- Cash in Hand, & Cash at Bank

रोकड तुल्यों का आशय :- अल्पकालीन अत्यधिक तरल विनियोग से होता है जिसे तत्पश्चात् से Cash में बदला जा सके। इस परिभाषा के अन्तर्गत क्रय की तिथि से 3 months या इसके कम अवधि वाले विनियोग होते हैं।

उपक्रम की मुख्य आगम देने वाली गतिविधियाँ होती हैं - operating transactions -
 विक्रय या सेवाएं प्रदान करने से Cash प्राप्तियाँ, Payment to suppliers & Payment to workers. - Machines

निवेश गतिविधियों के अन्तर्गत दीर्घकालीन उत्पाद सम्पत्तियाँ (Land, Buildings)
वित्तीय गतिविधियाँ - Share, Debenture Bonds etc.

Accounting Standard - 4 (Revised)

(Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet Date)

यह संशोधित मानदण्ड 1-4-1995 से प्रभावी है तथा अनिवार्य प्रकृतिक है। यह मानदण्ड आर्थिक चिह्नों की तिथि के पश्चात् किंतु संवाक्य मंडल द्वारा जारी चिह्नों के अनुमोदन से पूर्व घटने वाली आकारसम्पत्तियों तथा व्ययों के लेखांकन के लिए मर्यादा है। - चारिटर

आकारसम्पत्तियों (Contingent gains) को वित्तीय विवरणों में मन्जूर नहीं की जानी